रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052022-235487
CG-DL-E-02052022-235487

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 02, 2022/ वैशाख 12, 1944
No. 117]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 02, 2022/VAISAKHA 12, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 01 मई, 2022

सार्वजनिक सूचना सं. 06 /2015–2020

विषयः– प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 2.107 (एफटीए/सीईसीए के तहत टीआरक्यू) में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 तथा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 2.107 और एफटीपी 2015–20 के परिशिष्ट 2क को संशोधित करते हैं ताकि अधिसूचना सं. 22/2022–कस्टम दिनांक 30 अप्रैल 2022 के अनुसार परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक–IV के रुप में टीआरक्यू के तहत मदों के आयात हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के अलावा भारत–यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत उल्लिखित मदों को शामिल किया जा सके।

2. कृपया संलग्न परिशिष्ट–2क का अनुलग्नक–IV देखें।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः** भारत–यूएई सीईपीए के तहत सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 22/2022–कस्टम दिनांक 30 अप्रैल 2022 में यथा उल्लिखित टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) और दिए गए टीआरक्यू के तहत आवंटन और आयात की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।

[फा. सं. 01/89/180/01/एएम–22/पीसी–2[ख]/ई–31419 से जारी)]

संतोष कुमार, सारंगी महानिदेशक

परिशिष्ट–2क का अनुलग्नक–IV

भारत–यूएई सीईपीए के टीआरक्यू के तहत मदों का आयात

एचएस 8 कोड	विवरण	प्रभावी दर (%)	प्रस्तुत टैरिफ मोडेलिटी	टैरिफ दर रियायतों की अनुसूची (%)									
39011010	रैखिक कम घनत्व पॉलीथीन (एलएलडीपीई), जिसमें एथिलीन मोनोमर इकाई की कुल बहुलक सामग्री के वनज की 95% या उससे अधिक की हिस्सेदारी है।	7.5	निर्दिष्ट वर्ष–वार टीआर क्यू के साथ 5 वर्षों में 50% का टीआर	7.0 (टीआर क्यू – 45,000 मीट्रिक टन)	6.5 (टीआर क्यू – 50,500 मीट्रिक टन)	6.0 (टीआर क्यू – 56,000 मीट्रिक टन)	5.0 (टीआरक्यू – 61,500 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 67,500 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 86,300 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू 105,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 105,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 105,000 मीट्रिक टन)	375 (टीआर क्यू – 105,000 मीट्रिक टन)
39011020	कम घनत्व पॉलीथीन (एलडीपीई)	7.5											
39011090	अन्य पॉलीथीन जिसमें 0.94%से कम का विशिष्ट गुरुत्व है।	7.5											
39012000	पॉलीथीन जिसमें 0.94% या अधिक का विशिष्ट गुरुत्व होती है।	7.5	निर्दिष्ट वर्ष–वार टीआरक्यू के साथ 5 वर्षों में 50% का टीआर	7.0 (टीआरक्यू – 150,000 मीट्रिक टन)	6.5 (टीआर क्यू – 168,000 मीट्रिक टन)	6.0 (टीआर क्यू – 186,000 मीट्रिक टन)	5.0 (टीआरक्यू – 204,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 222,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 252,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 285,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 285,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 285,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 285,000 मीट्रिक टन)
39014010	रैखिक कम घनत्व पॉलीथीन (एलएलडीपीई), जिसमें एथिलीन मोनोमर इकाई की कुल बहुलक सामग्री के वजन से 95% से कम की हिस्सेदारी होती है।	7.5	निर्दिष्ट वर्ष–वार टीआरक्यू के साथ 5 वर्षों में 50% का टीआर	7.0 (टीआरक्यू – 45,000 मीट्रिक टन)	6.5 (टीआर क्यू – 50,500 मीट्रिक टन)	6.0 (टीआर क्यू – 56,000 मीट्रिक टन)	5.0 (टीआरक्यू – 61,500 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 67,500 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 86,300 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू 105,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 105,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआर क्यू – 105,000 मीट्रिक टन)	375 (टीआर क्यू – 105,000 मीट्रिक टन)

39014090	अन्य एथिलीन–अल्फा–ओलेफिन कॉपोलिमर, जिनकी विशिष्ट गुरुत्व 0.94% से कम है	7.5											
39019000	प्राथमिक स्रोतों में एथिलीन के अन्य बहुलक	7.5		7.0 (टीआरक्यू – 11,000 मीट्रिक टन)	6.5 (टीआरक्यू – 12,000 मीट्रिक टन)	6.0 (टीआरक्यू – 13,000 मीट्रिक टन)	5.0 (टीआरक्यू – 14,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 16,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 20,600 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 25,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 25,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 25,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू - 25,000 मीट्रिक टन)
39021000	पॉलीप्रोपलीन	7.5		7.0 (टीआरक्यू – 70,000 मीट्रिक टन)	6.5 (टीआरक्यू – 77,500 मीट्रिक टन)	6.0 (टीआरक्यू – 85,000 मीट्रिक टन)	5.0 (टीआरक्यू – 92,500 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 100,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 129,200 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 158,500 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 158,500 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 158,500 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 158,500 मीट्रिक टन)
39023000	प्रोपलीन कॉपोलिमर	7.5		7.0 (टीआरक्यू – 50,000 मीट्रिक टन)	6.5 (टीआरक्यू – 55,000 मीट्रिक टन)	6.0 (टीआरक्यू – 60,000 मीट्रिक टन)	5.0 (टीआरक्यू – 65,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 70,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 90,900 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 112,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 112,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 112,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 112,000 मीट्रिक टन)
39029000	प्रोपलीन या अन्य ओलेफिन के अन्य बहुलक, प्राथमिक रूप में	7.5		7.0 (टीआरक्यू – 4,000 मीट्रिक टन)	6.5 (टीआरक्यू – 4,500 मीट्रिक टन)	6.0 (टीआरक्यू – 5,000 मीट्रिक टन)	5.0 (टीआरक्यू– 5,500 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 6,000 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 7,700 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 9,500 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 9,500 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू – 9,500 मीट्रिक टन)	3.75 (टीआरक्यू– 9,500 मीट्रिक टन)
39041010	इमल्शन ग्रेड पीवीसी रेजिन /पीवीसी पेस्टेरेसिन /पीवीसी डिस्पर्शन रेजिन	10	टीआर (संचयी वार्षिक टीआरक्यू 60,000 मीट्रिक टन)	9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39041020	सस्पेंशन ग्रेड पीवीसी रेजिन	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39041090	अन्य पॉली (विनाइल क्लोराइड), किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित नहीं	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39042100	गैर–प्लास्टिसाइज्ड पॉली (विनाइल क्लोराइड), अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39043010	पाली (विनाइल डेरिवेटिव)	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5

390430 90	अन्य विनाइल क्लोराइड–विनाइल एसीटेट कॉपोलिमर	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
390469 10	पॉली (विनाइल फ्लोराइड), इस अध्याय के नोट 6 (बी) में उल्लिखित रूपों में से एक में	7.5		7	6.5	6	5	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
390490 10	क्लोरीन युक्त पॉली विनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
390490 90	प्राथमिक रूपों में विनाइल क्लोराइड या अन्य हेलोजन युक्त ओलेफिन के अन्य पॉलिमर	7.5		7	6.5	6	5	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
710811 00	गैर–मौद्रिक सोने का पाउडर	10											
710812 00	गैर–मौद्रिक सोने का अन्य अनगढ़ा रूप	10	टीआर (टैरिफ रियायत / प्रतिशत अर्थों में 1% की राहत, 200 टन की टीआरक्यू 5 वर्षों में चरणबद्ध)	लागू दर से 1% पूर्ण शुल्क में कमी (120 टन का टीआर क्यू)	लागू दर से 1% पूर्ण शुल्क में कमी (140 टन का टीआरक्यू)	लागू दर से 1% पूर्ण शुल्क में कमी (160 टन की टीआरक्यू)	लागू दर से 1% पूर्ण शुल्क में कमी (180 टन का टीआर क्यू)	लागू दर से 1% पूर्ण शुल्क में कमी (200 टन का टीआर क्यू)	लागू दर से 1% पूर्ण शुल्क में कमी (200 टन का टीआर क्यू)	लागू दर से 1% पूर्ण शुल्क में कमी (200 टन का टीआर क्यू)	लागू दर से 1% पूर्ण शुल्क में कमी (200 टन का टीआर क्यू)	लागू दर से 1% पूर्ण शुल्क में कमी (200 टन का टीआर क्यू)	लागू दर से 1% पूर्ण शुल्क में कमी (200 टन का टीआरक्यू)
710813 00	गैर–मौद्रिक सोने के अन्य अर्ध–निर्मित रूप	10											
711319 10	बिना जड़े सोने के आभूषणों की वस्तुएं,	20											
711119 20	मोतियों से जड़े सोने के आभूषणों की वस्तुएं	20	टीआर (2.5 टन का टीआरक्यू)	(2100 किग्रा का टीआरक्यू)	18 (2200 किलो का टीआरक्यू)	17 (2300 किग्रा का टीआर क्यू)	16 (2400 किग्रा का टीआर क्यू)	15 (2500 किग्रा का टीआरक्यू)	15 (2500 किग्रा का टीआर क्यू)	15 (2500 किग्रा का टीआर क्यू)	15 (2500 किग्रा का टीआर क्यू)	15 (2500 किग्रा का टीआर क्यू)	15 (2500 किग्रा का टीआरक्यू)
711319 30	हीरे से सजी सोने के आभूषणों की वस्तुएं	20											
711319 40	अन्य कीमती और अर्ध–कीमती पत्थरों के	20											

	साथ सेट सोने के आभूषण की वस्तु एं												
740811 10	कॉपर वेल्ड तार, क्रॉस सेक्शनल आयाम >6 मिमी	5	5 साल से अधिक का टीईपी (3 साल के मूविंग एवरेज वॉल्यूम का 150% का टीआरक्यू)	4.0 (टीआरक्यू – 85,000 मीट्रिक टन)	3.0 (टीआर क्यू – 95,000 मीट्रिक टन	2.0 (टीआर क्यू – 105,000 मीट्रिक टन)	1.0 (टीआरक्यू – 115,000 मीट्रिक टन)	0.0 (टीआर क्यू – 125,000 मीट्रिक टन)	0.0 (टीआर क्यू – 2 से 4 वर्ष का मूविंग एवरेज एमटी में)	0.0 (टीआर क्यू – एमटी में 3 से 5 वर्ष का मूविंग एवरेज)	0.0 (टीआर क्यू – एमटी में 4 से 6 वर्ष का मूविंग एवरेज)	0.0 (टीआर क्यू – वर्षों का मूविंग एवरेज 5 से 7 एमटी में)	0.0 (टीआर क्यू – एमटी में 6 से 8 वर्ष का मूविंग एवरेज)
740811 90	परिष्कृत तांबे के अन्य तार, जो अधिकतम पार–अनुभागीय आयाम 6 मिमी. से अधिक है	5											
740819 10	कॉपर वेल्ड तार, पार अनुभागीय आयाम <6 मिमी.	5	5 साल से अधिक का टीईपी (3 साल के मूविंग एवरेज वॉल्यूम का 150% का टीआरक्यू)	4.0 (टीआरक्यू – 270 मीट्रिक टन)	3.0 (टीआर क्यू – 302.5 मीट्रिक टन)	2.0 (टीआर क्यू – 335 मीट्रिक टन)	1.0 (टीआरक्यू – 367.5 मीट्रिक टन)	0.0 (टीआर क्यू – 400 मीट्रिक टन)	0.0 (टीआर क्यू – 2 से 4 वर्ष का मूविंग एवरेज एमटी में)	0.0 (टीआर क्यू – एमटी में 3 से 5 वर्ष का मूविंग एवरेज)	0.0 (टीआर क्यू – एमटी में 4 से 6 वर्ष का मूविंग एवरेज)	0.0 (टीआर क्यूट – वर्षों का मूविंग एवरेज 5 से 7 एमटी में)	0.0 (टीआर क्यू – एमटी में 6 से 8 वर्ष का मूविंग एवरेज)
740819 20	तांबे के वेल्डिंग तार, पार अनुभागीय आयाम <6 मिमी.	5											
740819 90	परिष्कृत तांबे के अन्य तार, पार अनुभागीय आयाम <6 मिमी.	5											

निम्नलिखित व्यवस्थाओं/प्रक्रिया के अधीन इन आयातों को अनुमति दी जाएगीः –

क) आयात भारत–यूएई सीईपीए से संबंधित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2022–कस्टम दिनांक 30 अप्रैल 2022 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधीन होगा।

ख) आयात खेप की निकासी के समय, भारत में आयातक को संयुक्त अरब अमीरात में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ग) इन आयातों के संबंध में वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि अर्थात भारत में वित्तीय वर्ष होगा।

घ) टीआरक्यू प्राधिकार–पत्र प्रदान करने के लिए सभी आवेदन डीजीएफटी वेबसाइट (https://dgft.gov.in) आयात प्रबंधन प्रणाली →टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।

ड) **टीआरक्यू की सीमा सालाना आनुपातिक होनी चाहिए। तथापि टैरिफ शीर्ष 7108 के तहत सोने के मामले में, आवंटन आनुपातिक और तिमाही आधार पर जारी किया जाएगा ।** अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2023–24 और उसके बाद के वार्षिक आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पिछले वित्तीय वर्ष की 28 फरवरी होगी। 7108 के तहत गोल्ड टीआरक्यू के लिए, वित्तीय वर्ष 2023–24 और उसके बाद के लिए वार्षिक आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि इस प्रकार होगी –

आवेदन की अवधि	टीआरक्यू आयात अवधि
1 जनवरी से 28 फरवरी	तिमाही 1-अप्रैल से जून
1 मई से 31 मई तक	तिमाही 2- जुलाई से सितंबर
1 अगस्त से 31 अगस्त तक	तिमाही 3- अक्टूबर से दिसंबर
1 नवंबर से 30 नवंबर	तिमाही 4- जनवरी से मार्च

च) **वर्तमान वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, 5 मई 2022 से 18 मई 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । 7108 के तहत गोल्ड टीआरक्यू के लिए, वित्त वर्ष 2022–23 की पहली दो तिमाहियों के लिए यानी 30 सितंबर 2022 तक आवेदन 5 मई 2022 से 18 मई 2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं । इसके बाद, तीसरी तिमाही के लिए गोल्ड टीआरक्यू के लिए 1 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, और चौथी तिमाही के लिए 1 नवंबर 2022 से 30 नवम्बर, 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।**

छ) 7108 के तहत गोल्ड टीआरक्यू के लिए , निम्नलिखित शर्तों पर विचार किया जाएगाः

i. पात्र आवेदक एक आभूषण विनिर्माता होगा।

ii. पात्र आवेदक को आईटीसी (एचएस) के अध्याय 71 में आईटीसी (एचएस) कोड 7108, 7113, 7114 और 7118 के तहत आने वाली वस्तुओं के व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए।

iii. ऐसे आभूषण विनिर्माता का औसत वार्षिक कारोबार रु. पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 25 करोड़।

iv. ऐसे आभूषण निर्माता के कारोबार में या तो

- एचएस कोड 7113 के तहत निर्मितध्बेची गई वस्तुओं का 90% शामिल होना चाहिए, या
- एचएस कोड 7113 के तहत निर्मित/बेची गई वस्तुओं की ऐसी मात्रा शामिल होनी चाहिए जो एचएस कोड 7113 के तहत संबंधित आभूषण निर्माता (प्रति वर्ष अनुमत अधिकतम टीआरक्यू आवंटन तक सीमित) द्वारा टीआरक्यू मात्रा बोली के बराबर है।

v. ऐसे आभूषण निर्माता के पास जीएसटी नंबर होना चाहिए और पूर्ववर्ती जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की लागू अवधि से पहले जीएसटी रिटर्न दाखिल करना चाहिए।

vi. ज्वैलर्स द्वारा की गई जीएसटी घोषणाओं के आधार पर पात्र आवेदक के वार्षिक टर्नओवर वाले वित्तीय विवरणों को सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित/लेखापरीक्षित किया जाना चाहिए।

vii. टीआरक्यू के तहत गोल्ड डोर के आयात पर विचार नहीं किया जाएगा।

ज) 7108 के तहत गोल्ड टीआरक्यू आयात के लिए संदर्भ सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना संख्या 22/2022–कस्टम दिनांक 30 अप्रैल 2022 को टीआरक्यू धारक द्वारा आरबीआई द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों (बैंकों के मामले में), डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित अर्हता प्राप्त ज्वैलर्स के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

झ) 39041010, 39041020, 39041090, 39042100, 39043010, 39043090, 39046910, 39049010 और 39049090 के तहत आयात के लिए , आवेदक को पिछले 2 वर्षों के दौरान निर्दिष्ट वस्तु का आयातक होना चाहिए और दिए गए इनपुट का उपभोग करने वाला एक प्रोसेसर/ निर्माता होना चाहिए। आवेदक को केंद्रीय/राज्य/जिला प्राधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेज की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें प्रसंस्करण क्षमता को दर्शाया गया हो।

ञ) 7113 को छोड़कर अन्य सभी टैरिफ लाइनों के लिए, आवेदक को दिए गए इनपुट का उपभोग करने वाला प्रोसेसर/निर्माता होना चाहिए। निर्माता के प्रमाण के रूप में पात्र आवेदक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए जीएसटी रिटर्न या उद्यम पंजीकरण या आईईएम पंजीकरण स्वीकार किया जा सकता हैः

ट) सभी आवंटन/टीआरक्यू लाइसेंस केवल उस विशिष्ट टीआरक्यू आवंटन अवधि/विशिष्ट तिमाही के लिए मान्य हैं – टीआरक्यू लाइसेंस धारक आवंटन को एक टीआरक्यू आवंटन अवधि से दूसरे में नहीं ले जा सकते हैं।

ठ) टीआरक्यू प्राधिकार पत्र में आयातक का नाम और पता, आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी), सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या, यथालागू प्रशुल्क मद, मात्रा और प्रमाण पत्र की वैधता अवधि शामिल होगी।

ड) टीआरक्यू प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा और भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस) को प्रेषित किया जाएगा। तथापि, गैर–ईडीआई पत्तन जो आईसीईएस के साथ समेकित नहीं हैं, के लिए, टीआरक्यू प्रतिभूति कागज पर भी जारी किया जाएगा।

ढ) टीआरक्यू के निमित्त किए गए आयात की अनुमति केवल आईसीईएस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेबिट करने या पृष्ठांकित डेबिट पर ही दी जाएगी।

ण) उपर्युक्त आवश्यकताओं के अतिरिक्त, प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत मदों के लिए टीआरक्यू प्राधिकार पत्र में नामित एजेंसी/आईएफएससीए का आयातक–निर्यातक कोड (आईसी), जिस आभूषण विनिर्माता को टीआरक्यू जारी किया जा रहा है, उसकी जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) भी शामिल होगी। उक्त टीआरक्यू आयातक सीमाशुल्क (रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

Public Notice No. 06/2015-2020

Dated the 1st May, 2022

Subject: Amendment in Para 2.107 (TRQ under FTA/CECA) of Handbook of Procedure 2015-2020.

In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Directorate General of Foreign Trade hereby revises Para 2.107 of Handbook of Procedure 2015-2020 and Appendix 2A of FTP, 2015-20 to incorporate the items mentioned under Tariff Rate Quota (TRQ) under India – UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), besides laying down the procedure for import of the items under TRQ as Annexure IV of Appendix 2A in accordance with Notification No. 22/2022-Customs dated 30th April 2022

2. Annexure IV of Appendix 2A enclosed may please be seen.

3. **Effect of this Public Notice**: The Tariff Rate Quotas (TRQ) as mentioned in Notification No. 22/2022-Customs dated 30th April 2022 under India–UAE CEPA and procedure for allocation and imports under given TRQs is notified.

[Issued from File No. 01/89/180/01/AM-22/PC-2[B]/E- 31419]

Santosh Kumar Sarangi, Director General

Imports of Items under the TRQ of the India- UAE CEPA

HS 8 Code	Description	Effective Rate (%)	Tariff Modality Offered	Schedule of Tariff Rate Concessions (%)									
39011010	Linear low-density polyethylene (LLDPE), in which ethylene monomer unit contributes 95% or more by weight of the total polymer content	7.5	TR of 50% in 5 years with specified year-wise TRQs	7.0 (TRQ - 45,000 MT)	6.5 (TRQ - 50,500 MT)	6.0 (TRQ - 56,000 MT)	5.0 (TRQ - 61,500 MT)	3.75 (TRQ - 67,500 MT)	3.75 (TRQ - 86,300 MT)	3.75 (TRQ - 105,000 MT)	3.75 (TRQ - 105,000 MT)	3.75 (TRQ - 105,000 MT)	3.75 (TRQ - 105,000 MT)
39011020	Low density polyethylene (LDPE)	7.5											
39011090	Other Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94	7.5											
39012000	Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more	7.5	TR of 50% in 5 years with specified year-wise TRQs	7.0 (TRQ - 150,000 MT)	6.5 (TRQ - 168,000 MT)	6.0 (TRQ - 186,000 MT)	5.0 (TRQ - 204,000 MT)	3.75 (TRQ - 222,000 MT)	3.75 (TRQ - 252,000 MT)	3.75 (TRQ - 285,000 MT)	3.75 (TRQ - 285,000 MT)	3.75 (TRQ - 285,000 MT)	3.75 (TRQ - 285,000 MT)
39014010	Linear low-density polyethylene (LLDPE), in which ethylene monomer unit contributes less than 95 % by weight of the total polymer content	7.5	TR of 50% in 5 years with specified year-wise TRQs	7.0 (TRQ - 45,000 MT)	6.5 (TRQ - 50,500 MT)	6.0 (TRQ - 56,000 MT)	5.0 (TRQ - 61,500 MT)	3.75 (TRQ - 67,500 MT)	3.75 (TRQ - 86,300 MT)	3.75 (TRQ - 105,000 MT)	3.75 (TRQ - 105,000 MT)	3.75 (TRQ - 105,000 MT)	3.75 (TRQ - 105,000 MT)
39014090	Other Ethylene-alpha-olefin copolymers, having a specific gravity of less than 0.94	7.5											

39019000	Other polymers of ethylene, in primary sources	7.5		7.0 (TRQ - 11,000 MT)	6.5 (TRQ - 12,000 MT)	6.0 (TRQ - 13,000 MT)	5.0 (TRQ - 14,000 MT)	3.75 (TRQ - 16,000 MT)	3.75 (TRQ - 20,600 MT)	3.75 (TRQ - 25,000 MT)	3.75 (TRQ - 25,000 MT)	3.75 (TRQ - 25,000 MT)	3.75 (TRQ - 25,000 MT)
39021000	Polypropylene	7.5		7.0 (TRQ - 70,000 MT)	6.5 (TRQ - 77,500 MT)	6.0 (TRQ - 85,000 MT)	5.0 (TRQ - 92,500 MT)	3.75 (TRQ - 100,000 MT)	3.75 (TRQ - 129,200 MT)	3.75 (TRQ - 158,500 MT)	3.75 (TRQ - 158,500 MT)	3.75 (TRQ - 158,500 MT)	3.75 (TRQ - 158,500 MT)
39023000	Propylene copolymers	7.5		7.0 (TRQ - 50,000 MT)	6.5 (TRQ - 55,000 MT)	6.0 (TRQ - 60,000 MT)	5.0 (TRQ - 65,000 MT)	3.75 (TRQ - 70,000 MT)	3.75 (TRQ - 90,900 MT)	3.75 (TRQ - 112,000 MT)	3.75 (TRQ - 112,000 MT)	3.75 (TRQ - 112,000 MT)	3.75 (TRQ - 112,000 MT)
39029000	Other polymers of propylene or of other olefins, in primary forms	7.5		7.0 (TRQ - 4,000 MT)	6.5 (TRQ - 4,500 MT)	6.0 (TRQ - 5,000 MT)	5.0 (TRQ - 5,500 MT)	3.75 (TRQ - 6,000 MT)	3.75 (TRQ - 7,700 MT)	3.75 (TRQ - 9,500 MT)	3.75 (TRQ - 9,500 MT)	3.75 (TRQ - 9,500 MT)	3.75 (TRQ - 9,500 MT)
39041010	Emulsion grade PVC resin / PVC Pasteresin / PVC dispersion resin	10	Tariff Reduction of 50% in 5 years with specified year-wise TRQs (Cumulative Annual TRQ of 60,000 MT)	9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39041020	Suspension grade PVC resin	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39041090	Other Poly (vinyl chloride), not mixed with any other substances	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39042100	Non-plasticised poly (vinyl chloride), mixed with other substances	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39043010	Poly(vinyl derivatives)	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39043090	Other Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39046910	Poly (vinyl fluoride), in one of the forms mentioned in Note 6(b) to	7.5		7	6.5	6	5	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75

	this Chapter												
39049010	Chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) resin	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39049090	Other Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms	7.5		7	6.5	6	5	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
71081100	Non-monetary gold powder	10											
71081200	Other unwrought forms of non-monetary gold	10	TR (Tariff concession/ relief of 1% in absolute percentage terms, TRQ of 200 tons phased in 5 years)	1% absolute duty reduction over the applied rate (TRQ of 120 tonnes)	1% absolute duty reduction over the applied rate (TRQ of 140 tonnes)	1% absolute duty reduction over the applied rate (TRQ of 160 tonnes)	1% absolute duty reduction over the applied rate (TRQ of 180 tonnes)	1% absolute duty reduction over the applied rate (TRQ of 200 tonnes)	1% absolute duty reduction over the applied rate (TRQ of 200 tonnes)	1% absolute duty reduction over the applied rate(TRQ of 200 tonnes)	1% absolute duty reduction over the applied rate(TRQ of 200 tonnes)	1% absolute duty reduction over the applied rate(TRQ of 200 tonnes)	1% absolute duty reduction over the applied rate(TRQ of 200 tonnes)
71081300	Other semi-manufactured forms of non-monetary gold	10											
71131910	Articles of jewellery of gold, unstudded	20											
71131920	Articles of jewellery of gold, set with pearls	20											
71131930	Articles of jewellery of gold set with diamonds	20	TR (TRQ of 2.5 Tonnes)	19 (TRQ of 2100 kg)	18 (TRQ of 2200 kg)	17 (TRQ of 2300 kg)	16 (TRQ of 2400 kg)	15 (TRQ of 2500 kg)	15 (TRQ of 2500 kg)	15 (TRQ of 2500 kg)	15 (TRQ of 2500 kg)	15 (TRQ of 2500 kg)	15 (TRQ of 2500 kg)
71131940	Articles of jewllery of gold, set with other precious and semi-precious stones	20											

74081110	Copper weld wire, cross sectional dimension > 6mm	5	TEP over 5 years (TRQ of 150% of 3 years moving average volume)	4.0 (TRQ - 85,000 MT)	3.0 (TRQ - 95,000 MT)	2.0 (TRQ - 105,000 MT)	1.0 (TRQ - 115,000 MT)	0.0 (TRQ - 125,000 MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 2 to 4 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 3 to 5 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 4 to 6 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 5 to 7 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 6 to 8 in MT)
74081190	Other wire of refined copper, which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm	5											
74081910	Copper weld wire, cross sectional dimension < 6mm	5	TEP over 5 years (TRQ of 150% of 3 years moving average volume)	4.0 (TRQ - 270 MT)	3.0 (TRQ - 302.5 MT)	2.0 (TRQ - 335 MT)	1.0 (TRQ - 367.5 MT)	0.0 (TRQ - 400 MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 2 to 4 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 3 to 5 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 4 to 6 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 5 to 7 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 6 to 8 in MT)
74081920	Welding wire of copper, cross sectional dimension < 6mm	5											
74081990	Other wire of refined copper, cross sectional dimension < 6mm	5											

These imports will be permitted subject to the following arrangements/ procedure: -

a. Import would be subject to Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 22/2022-Customs dated 30th April 2022 (as amended from time to time) relating to India-UAE CEPA.

b. At the time of clearance of the import consignment, the importer in India must produce a Certificate of Origin issued by concerned authorities in UAE.

c. The year in respect of these imports will be the period from 1st April to 31st March, i.e., financial year in India.

d. All applications for grant of TRQ authorizations shall be submitted online through the DGFT website (https://dgft.gov.in)→ Import Management System → Tariff Rate Quota (TRQ)

e. **TRQ limit to be proportioned annually. However, in case of Gold under tariff head 7108, allocation shall be proportioned on a quarterly basis**. The application along with the requisite fee is required to be filed online. The last date for applications for annual allocation for FY 2023-24 and onwards shall be 28th February of the previous financial year. For Gold TRQs under 7108, the last date for applications for annual allocation for FY 2023-24 and onwards, shall be as follows –

Application period	TRQ Import Period
1st January to 28th February	Q1- Apr to June
1st May to 31st May	Q2 - July to September
1st August to 31st August	Q3 - October to December
1st November to 30th November	Q4 – January to March

f. **For the current FY 2022-23, applications are invited from 5th May 2022 to 18th May 2022. For Gold TRQ under 7108, the applications for the first two Quarters of the FY2022-23 i.e., till 30th September 2022, are invited from 5th May 2022 to 18th May 2022. Subsequently, for Gold TRQs for the third Quarter applications shall be invited from 1st August 2022 to 31st August2022, and for the fourth Quarter, applications shall be invited from 1st November 2022 to 30th November2022.**

g. For Gold TRQ under 7108, the following conditions shall be considered additionally:

  i. Eligible Applicant must be a jewellery manufacturer.
  ii. Eligible Applicant must be engaged in the business of goods falling under ITC(HS) codes 7108, 7113, 7114 and 7118 in Chapter 71 of ITC(HS).
  iii. Such Jewellery manufacturer should have an average annual turnover of Rs. 25 crores over the last 3 financial years.
  iv. The turnover of such Jewellery manufacturer should either:
    - comprise of 90% of items manufactured/sold under HS code 7113, or
    - comprise of a quantity of items manufactured/sold under HS code 7113 which is at least equal to the TRQ quantity bid by the respective jewellery manufacturer (capped to the maximum TRQ allocation permissible per annum) under HS code 7113.
  v. Such Jewellery manufacturer should have a GST number and should have filed GST returns up to the applicable preceding GST return filing period.
  vi. Financial statements containing annual turnovers of the eligible applicant should be duly certified/audited by a Chartered Accountant, on the basis of the jewellers GST declarations.
  vii. Import of Gold Dore under TRQ shall not be considered.

h. Reference Notification No. 22/2022-Customs dated 30th April 2022, for Gold TRQ imports under 7108, may be affected by the TRQ holder through Nominated Agencies as notified by RBI (in case of banks), nominated agencies notified by DGFT or Qualified Jewellers as notified by International Financial Services Centres Authority (IFSCA).

i. For TRQ imports under 39041010, 39041020, 39041090, 39042100, 39043010, 39043090, 39046910, 39049010 and 39049090, the applicant must be an importer of the specified item during the last 2 years and must be a processor/manufacturer consuming the given inputs. The applicant must furnish self-certified copy of the document issued by Central/State/District Authorities indicating processing capacity.

j. For all other tariff lines except under tariff head 7113, applicant must be a processor/manufacturer consuming the given inputs. GST returns or Udyam Registration or IEM registration may be accepted for qualifying as an eligible applicant as a proof of manufacturer.

k. All allocations/TRQ licenses are valid only for that specific TRQ allocation period/ specific Quarter – TRQ license holders cannot carry over an allocation over from one TRQ allocation period to another.

l. The TRQ authorisation shall contain the name and address of the importer, Importer -Exporter Code (IEC), Customs notification number, tariff item as applicable, quantity and validity period of the certificate.

m. The TRQ authorisation shall be issued electronically by the Directorate General of Foreign Trade and transmitted to Indian Customs EDI System (ICES). However, for non-EDI Ports not integrated with ICES, the TRQ shall also be issued on Security Paper.

n. Imports made against the TRQ shall be allowed only upon debiting electronically in the ICES system or on debit as endorsed.

o. In addition to the requirements as above, the TRQ authorization for items under Tariff head 7108, shall also contain Importer-Exporter Code (IEC) of the nominated agency/IFSCA, GST Identification Number (GSTIN) of the jewellery manufacturer to whom TRQ is being issued. The said TRQ importer shall follow the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.02 15:55:25 +05'30'